# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

## पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–103 / 2022 (2022 / 247) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1. किशनलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जमनी पुत्री मोती जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बदाम पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहन पिता रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लेहरूलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहनलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. हंजा पुत्री चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. हेमराज पिता रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हीरालाल पिता चम्पालाल जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. भैरूलाल पिता मौजीराम जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता छोगा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारस पिता शिवलाल जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट**

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – प्रार्थीगण अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक 07.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 197 रकबा 0.08 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 29.05.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की

पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण की ओर से जवाब मे अंकन किया कि प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चोरो तरफ मुस्तकिल निशानात पर वर्षो पुरानी मेड़बंदी कर रखी है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नही करना पड़ रहा है अपना कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा वादवर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी का आवेदन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के समक्ष पेश किया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.1998 को खारीज कर दिया गया जिसकी निगरानी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो द्वारा आज दिन तक नही की है। प्रमाण में पूर्व निर्णय की प्रति साथ पेश की है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने से पाया कि पूर्व न्यायालय आदेश से यह प्रकरण प्रभावित नही होता है प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 197 रकबा 0.08 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

07.07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—103 / 2022 (2022 / 247) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1. किशनलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जमनी पुत्री मोती जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बदाम पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहन पिता रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लेहरूलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहनलाल पिता चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. हंजा पुत्री चंपा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. हेमराज पिता रामा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हीरालाल पिता चम्पालाल जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. भैरूलाल पिता मौजीराम जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता छोगा जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारस पिता शिवलाल जाट निवासी पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट**

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 07.07.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 197 रकबा 0.08 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा